प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री एस. आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश

रिट याचिका क्र. 1624/2006

याचिकाकर्ता : रमेश कुमार सिंह, पिता श्री श्याम बिहारी सिंह, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी–गाँव और पोस्ट–चौगेन, जिला बक्सर, बिहार

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :
1) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, द्वारा अध्यक्ष, विश्राम गृह पहुना के सामने, रायपुर (छ०ग०)
2) परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा कमीशन, पहुना विश्राम गृह के सामने, रायपुर (छ०ग०)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका क्र. 1637/2006

याचिकाकर्ता : आदित्य तिवारी, पिता श्री बद्री विशाल नाथ तिवारी, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी गाँव लंगदातार, पोस्ट–राजापुर, सर्रिया, जिला फैजाबाद (उ. प्र.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :
1) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, द्वारा अध्यक्ष, विश्राम गृह पहुना के सामने, रायपुर (छ०ग०)
2) परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा कमीशन, पहुना विश्राम गृह के सामने, रायपुर (छ०ग०)

रिट याचिका क्र. 1625/2006

याचिकाकर्ता : अजय कुमार, पिता श्री रामचंद्र गुप्ता, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी–गिरधर का चौराहा, जिला मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, द्वारा अध्यक्ष, विश्राम गृह पहुना के सामने, रायपुर (छ०ग०)
2) परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा कमीशन, पहुना विश्राम गृह के सामने, रायपुर (छ०ग०)

उपस्थिति: : याचिकाकर्ताओं के लिए श्री विनय पांडे, अधिवक्ता ।
: उत्तरवादीगण के लिए श्री अभिषेक सिन्हा, अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मौखिक आदेश

(दिनांक 5 अप्रैल, 2006 को पारित)

इन सभी रिट याचिकाओं में निर्णय लेने के लिए जो बिंदु उत्पन्न होता है, वह समान प्रकार का है। इसलिए, इन सभी रिट याचिकाओं को स्वीकार करने के लिए एक साथ सुना गया।

(2) याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सभी याचिकाकर्ता काफी मेधावी हैं और वास्तव में, उन्होंने सामान्य अध्ययन को छोड़कर सभी विषयों में उच्च प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। यह कथन किया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने सामान्य अध्ययन में भी अच्छा प्रदर्शन किया है और यह काफी आश्चर्यजनक है कि उन्हें उस विषय में कम प्रतिशत अंकों के साथ कैसे सम्मानित किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं के स्वयं के द्वारा किये गए मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए और इस आशंका के साथ कि सामान्य अध्ययन में उनकी उत्तर–लिपियों को

उचित रूप से महत्व नहीं दिया गया था, याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की है।

(3) मुझे नहीं लगता कि याचिकाकर्ताओं ने न्यायिक समीक्षा के लिए कोई आधार सिद्ध किया है। याचिकाकर्ताओं का यह स्व–मूल्यांकन कि उन्हें सामान्य अध्ययन में दिए गए अंकों से अधिक अंक प्राप्त होने चाहिए थे, निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक है। स्व–मूल्यांकन को उत्तरदाता–अधिकारियों द्वारा किए गए वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के समतुल्य नहीं माना जा सकता है। दूसरे, मानवीय अनुभव और तर्क दोनों के संदर्भ में, यह नहीं कहा जा सकता कि केवल इसलिए कि किसी छात्र ने किसी विषय में उच्च प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, उसे अनिवार्य रूप से या स्वाभाविक रूप से अन्य सभी विषयों में भी उच्च प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए। तीसरा, **महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य बनाम परितोष भूपेश कुरमारशेठ**[1] आदि के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से यह बात काफी हद तक स्थापित हो चुकी है कि उत्तर पुस्तिकाओं को न्यायालय के समक्ष न तो अवलोकन के लिए और न ही द्वितीय पुनर्मूल्यांकन का निर्देश देने के लिए तलब किया जा सकता है, जब तक कि विनियमों में इसका प्रावधान न हो। चाहे जो भी हो, न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य नहीं रखा गया है जिसके आधार पर न्यायालय संभवतः सामान्य अध्ययन में याचिकाकर्ताओं के उत्तर–लिपियों के उचित मूल्यांकन पर संदेह कर सके। कुल मिलाकर, अगर मैं ऐसा कहूँ तो, ये ऐसे मामले नहीं हैं जिनमें न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप करना चाहिए। इसलिए रिट याचिकाओं को खारिज किया जाता है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 ए. आई. आर 1984 एस. सी. 1543

= = = = 0000= = = =

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur